



Online RECORD NO. 21013449

18-12-21

07-01-22

Closed

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाच संख्या 86/2021

धारा 107 वं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही/नोटिस

दिनिया देवी

बनाम

अर्जुन साव वगै०

17.06.2022

स्थानीय पुलिस थाना: निमियाँघाट से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि

उभय पक्षों के बीच भूमि से संबंधित विवाद है जिसके कारण उभय पक्षों में काफी तनाव है जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शान्ति भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय-पक्ष/विपक्षी सदस्यों के विरुद्ध धारा 107 वं.प्र.सं. के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक 07/..... 01..... 20.22..... को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हें आदेश की तिथि से एक साल लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/- रुपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष -

1 दिनिया देवी उम्र : 61 वर्ष पति: एतवारी साव
साकिन: बालुटूण्डा, टोला प्रतापपुर, थाना: निमियाँघाट, जिला: गिरिडीह।

- बनाम -

द्वितीय पक्ष -

1 अर्जुन साव उम्र : 44 वर्ष पिता : सुकर साव
2 अलका देवी उम्र : 40 वर्ष पति: अर्जुन साव
3 योगेन्द्र साव उम्र : 23 वर्ष पिता : अर्जुन साव
4 रूपलाल साव उम्र : 48 वर्ष पिता : सुकर साव

सभी साकिन: बालुटूण्डा, टोला प्रतापपुर, थाना: निमियाँघाट, जिला: गिरिडीह।

लेखापित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
डुमरी।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
डुमरी।

17.06.2022

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष इस वाद में सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहे हैं। उभय पक्षों के बीच परिशांति भंग होने से संबंधित प्रतिवेदन घाता प्रभारी, निमियाँघाट द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। उससे प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच शान्ति-व्यवस्था बहाल है।

अतएव, वाद की कार्यवाही काल अवधि बाधित हो जाने के कारण समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनुमंडल दण्डाधिकारी
डुमरी।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
डुमरी।